

प्रेषक,

मदन मोहन त्रिपाठी  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 15 मई, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत 03 अदद नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के अ०शा०पत्र संख्या-297/ काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र०, दिनांक 21-04-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की 03 अदद नई परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 13,60,29,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था (नई श्रेणी) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 60,00,000.00 (₹ साठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

( धनराशि लाख ₹० में )

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्था० संचा० समिति सं० का संदर्भ	परियोजना की लागत	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21	स्वीकृत धनराशि (नई से)	सम्बन्धित मु० अभि०
1	2	3	4	5	6	7
94-4711-03-103-03-05-24 जल निकास योजनाएं एवं पुनरोद्धार की परियोजनाएं						
1	जनपद सुल्तानपुर में ढबियां चन्दौर ड्रेन के किमी० 0.00 से किमी० 20.200 तक आन्तरिक सेक्सन में मिटटी का कार्य एवं 05 अदद बी०आर०बी० निर्माण के कार्य की परियोजना। (Longitude:- 82 <sup>0</sup> 01'43"E, and Latitude:-26 <sup>0</sup> 23'54" N)	क्रमांक- 28 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	938.08	20.00	20.00	मु० अभि० (शारदा सहायक)
2	जनपद मेरठ में सरधना, सिवाल एवं शेखपुर नालो के पुराने जर्जर पुलो के पुनर्निर्माण हेतु संकलित परियोजना।	क्रमांक- 69 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	252.62	20.00	20.00	मु० अभि० (गंगा)
3	जनपद चन्दौली में लेहरा मनेहरा ड्रेन के पुनरोद्धार हेतु परियोजना। (Longitude:-83 <sup>0</sup> 15'E and Latitude:- 25 <sup>0</sup> 21'N)	क्रमांक- 48 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	169.59	20.00	20.00	मु० अभि० (सोन)
कुल योग-			<b>1360.29</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	

( ₹० साठ लाख मात्र )

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

- (1) बाढ़ कार्यों हेतु राज्य सेक्टर में निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत परियोजनाओं पर धनराशि स्वीकृत की जाए।
- (2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।
- (4) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

- (5) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (6) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।
- (7) निर्माण कार्यों पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाएगी।
- (8) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (9) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तदनुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टॉईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (10) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।
- (11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समकक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।
- (12) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (13) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किशतों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/पीएलए/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।
- (14) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2011, दि0 09-07-2012 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (15) कार्य की विशिष्टियाँ मानक/गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रमुख अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो और कार्य समय से पूरा हो।
- (16) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा समकक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- (17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (18) प्रश्रुगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।
- (19) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

- (20) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।
  - (21) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।
  - (22) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
  - (23) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
  - (24) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा अन्य सुसंगत शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 और सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  - (25) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
- 5- उक्त वित्तीय स्वीकृति सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति एवं निहित शर्तों के अधीन तथा वित्त विभाग के अशा० पंजी संख्या- ई - 8- 924 /दस-20 दिनांक 15 मई, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं निय०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं निय०, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (8) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (12) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

प्रेषक,

मदन मोहन त्रिपाठी  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 15 मई, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत 03 अदद नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के अ०शा०पत्र संख्या-297/ काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र०, दिनांक 21-04-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की 03 अदद नई परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 13,60,29,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था (नई श्रेणी) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 60,00,000.00 (₹ साठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

( धनराशि लाख ₹० में )

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्था० संचा० समिति सं० का संदर्भ	परियोजना की लागत	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21	स्वीकृत धनराशि (नई से)	सम्बन्धित मु० अभि०
1	2	3	4	5	6	7
94-4711-03-103-03-05-24 जल निकास योजनाएं एवं पुनरोद्धार की परियोजनाएं						
1	जनपद सुल्तानपुर में ढबियां चन्दौर ड्रेन के किमी० 0.00 से किमी० 20.200 तक आन्तरिक सेक्सन में मिटटी का कार्य एवं 05 अदद बी०आर०बी० निर्माण के कार्य की परियोजना। (Longitude:- 82 <sup>0</sup> 01'43"E, and Latitude:-26 <sup>0</sup> 23'54" N)	क्रमांक- 28 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	938.08	20.00	20.00	मु० अभि० (शारदा सहायक)
2	जनपद मेरठ में सरधना, सिवाल एवं शेखपुर नालो के पुराने जर्जर पुलो के पुनर्निर्माण हेतु संकलित परियोजना।	क्रमांक- 69 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	252.62	20.00	20.00	मु० अभि० (गंगा)
3	जनपद चन्दौली में लेहरा मनेहरा ड्रेन के पुनरोद्धार हेतु परियोजना। (Longitude:-83 <sup>0</sup> 15'E and Latitude:- 25 <sup>0</sup> 21'N)	क्रमांक- 48 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	169.59	20.00	20.00	मु० अभि० (सोन)
कुल योग-			<b>1360.29</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	

( ₹० साठ लाख मात्र )

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

- (1) बाढ़ कार्यों हेतु राज्य सेक्टर में निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत परियोजनाओं पर धनराशि स्वीकृत की जाए।
- (2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।
- (4) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

- (5) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (6) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।
- (7) निर्माण कार्यों पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाएगी।
- (8) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (9) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तदनुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टॉईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (10) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।
- (11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समकक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।
- (12) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (13) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किशतों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/पीएलए/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।
- (14) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2011, दि0 09-07-2012 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (15) कार्य की विशिष्टियाँ मानक/गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रमुख अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो और कार्य समय से पूरा हो।
- (16) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा समकक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- (17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (18) प्रश्रुगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।
- (19) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

- (20) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।
  - (21) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।
  - (22) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
  - (23) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
  - (24) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा अन्य सुसंगत शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 और सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  - (25) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020- 21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
- 5- उक्त वित्तीय स्वीकृति सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति एवं निहित शर्तों के अधीन तथा वित्त विभाग के अशा० पंजी संख्या- ई - 8- 924 /दस-20 दिनांक 15 मई, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो०, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (8) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (12) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

प्रेषक,

मदन मोहन त्रिपाठी  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 15 मई, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत 03 अदद नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के अ०शा०पत्र संख्या-297/ काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र०, दिनांक 21-04-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की 03 अदद नई परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 13,60,29,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था (नई श्रेणी) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 60,00,000.00 (₹ साठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

( धनराशि लाख ₹० में )

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्था० संचा० समिति सं० का संदर्भ	परियोजना की लागत	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21	स्वीकृत धनराशि (नई से)	सम्बन्धित मु० अभि०
1	2	3	4	5	6	7
94-4711-03-103-03-05-24 जल निकास योजनाएं एवं पुनरोद्धार की परियोजनाएं						
1	जनपद सुल्तानपुर में ढबियां चन्दौर ड्रेन के किमी० 0.00 से किमी० 20.200 तक आन्तरिक सेक्सन में मिटटी का कार्य एवं 05 अदद बी०आर०बी० निर्माण के कार्य की परियोजना। (Longitude:- 82 <sup>0</sup> 01'43"E, and Latitude:-26 <sup>0</sup> 23'54" N)	क्रमांक- 28 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	938.08	20.00	20.00	मु० अभि० (शारदा सहायक)
2	जनपद मेरठ में सरधना, सिवाल एवं शेखपुर नालो के पुराने जर्जर पुलो के पुनर्निर्माण हेतु संकलित परियोजना।	क्रमांक- 69 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	252.62	20.00	20.00	मु० अभि० (गंगा)
3	जनपद चन्दौली में लेहरा मनेहरा ड्रेन के पुनरोद्धार हेतु परियोजना। (Longitude:-83 <sup>0</sup> 15'E and Latitude:- 25 <sup>0</sup> 21'N)	क्रमांक- 48 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	169.59	20.00	20.00	मु० अभि० (सोन)
कुल योग-			<b>1360.29</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	

( ₹० साठ लाख मात्र )

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

- (1) बाढ़ कार्यों हेतु राज्य सेक्टर में निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत परियोजनाओं पर धनराशि स्वीकृत की जाए।
- (2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।
- (4) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

- (5) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (6) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।
- (7) निर्माण कार्यों पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाएगी।
- (8) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (9) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तदनुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टॉईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (10) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।
- (11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समकक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।
- (12) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (13) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किशतों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/पीएलए/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।
- (14) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2011, दि0 09-07-2012 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (15) कार्य की विशिष्टियाँ मानक/गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रमुख अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो और कार्य समय से पूरा हो।
- (16) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा समकक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- (17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (18) प्रश्रुगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।
- (19) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।



- (20) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।
  - (21) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।
  - (22) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
  - (23) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
  - (24) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा अन्य सुसंगत शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 और सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  - (25) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020- 21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
- 5- उक्त वित्तीय स्वीकृति सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति एवं निहित शर्तों के अधीन तथा वित्त विभाग के अशा० पंजी संख्या- ई - 8- 924 /दस-20 दिनांक 15 मई, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो०, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (8) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (12) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

प्रेषक,

मदन मोहन त्रिपाठी  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 15 मई, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत 03 अदद नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के अ०शा०पत्र संख्या-297/ काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र०, दिनांक 21-04-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की 03 अदद नई परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 13,60,29,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था (नई श्रेणी) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 60,00,000.00 (₹ साठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

( धनराशि लाख ₹० में )

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्था० संचा० समिति सं० का संदर्भ	परियोजना की लागत	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21	स्वीकृत धनराशि (नई से)	सम्बन्धित मु० अभि०
1	2	3	4	5	6	7
94-4711-03-103-03-05-24 जल निकास योजनाएं एवं पुनरोद्धार की परियोजनाएं						
1	जनपद सुल्तानपुर में ढबियां चन्दौर ड्रेन के किमी० 0.00 से किमी० 20.200 तक आन्तरिक सेक्सन में मिटटी का कार्य एवं 05 अदद बी०आर०बी० निर्माण के कार्य की परियोजना। (Longitude:- 82 <sup>0</sup> 01'43"E, and Latitude:-26 <sup>0</sup> 23'54" N)	क्रमांक- 28 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	938.08	20.00	20.00	मु० अभि० (शारदा सहायक)
2	जनपद मेरठ में सरधना, सिवाल एवं शेखपुर नालो के पुराने जर्जर पुलो के पुनर्निर्माण हेतु संकलित परियोजना।	क्रमांक- 69 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	252.62	20.00	20.00	मु० अभि० (गंगा)
3	जनपद चन्दौली में लेहरा मनेहरा ड्रेन के पुनरोद्धार हेतु परियोजना। (Longitude:-83 <sup>0</sup> 15'E and Latitude:- 25 <sup>0</sup> 21'N)	क्रमांक- 48 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	169.59	20.00	20.00	मु० अभि० (सोन)
कुल योग-			<b>1360.29</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	

( ₹० साठ लाख मात्र )

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

- (1) बाढ़ कार्यों हेतु राज्य सेक्टर में निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत परियोजनाओं पर धनराशि स्वीकृत की जाए।
- (2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।
- (4) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

- (5) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (6) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।
- (7) निर्माण कार्यों पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाएगी।
- (8) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (9) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तदनुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टॉईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (10) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।
- (11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समकक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।
- (12) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (13) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किशतों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/पीएलए/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।
- (14) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2011, दि0 09-07-2012 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (15) कार्य की विशिष्टियाँ मानक/गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रमुख अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो और कार्य समय से पूरा हो।
- (16) प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा समकक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- (17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (18) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।
- (19) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

- (20) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।
  - (21) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।
  - (22) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
  - (23) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
  - (24) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा अन्य सुसंगत शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 और सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  - (25) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020- 21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
- 5- उक्त वित्तीय स्वीकृति सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति एवं निहित शर्तों के अधीन तथा वित्त विभाग के अशा० पंजी संख्या- ई - 8- 924 /दस-20 दिनांक 15 मई, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो०, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (8) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (12) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

प्रेषक,

मदन मोहन त्रिपाठी  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 15 मई, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत 03 अदद नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के अ०शा०पत्र संख्या-297/ काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र०, दिनांक 21-04-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की 03 अदद नई परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 13,60,29,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था (नई श्रेणी) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 60,00,000.00 (₹ साठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

( धनराशि लाख ₹० में )

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्था० संचा० समिति सं० का संदर्भ	परियोजना की लागत	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21	स्वीकृत धनराशि (नई से)	सम्बन्धित मु० अभि०
1	2	3	4	5	6	7
94-4711-03-103-03-05-24 जल निकास योजनाएं एवं पुनरोद्धार की परियोजनाएं						
1	जनपद सुल्तानपुर में ढबियां चन्दौर ड्रेन के किमी० 0.00 से किमी० 20.200 तक आन्तरिक सेक्सन में मिटटी का कार्य एवं 05 अदद बी०आर०बी० निर्माण के कार्य की परियोजना। (Longitude:- 82 <sup>0</sup> 01'43"E, and Latitude:-26 <sup>0</sup> 23'54" N)	क्रमांक- 28 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	938.08	20.00	20.00	मु० अभि० (शारदा सहायक)
2	जनपद मेरठ में सरधना, सिवाल एवं शेखपुर नालो के पुराने जर्जर पुलो के पुनर्निर्माण हेतु संकलित परियोजना।	क्रमांक- 69 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	252.62	20.00	20.00	मु० अभि० (गंगा)
3	जनपद चन्दौली में लेहरा मनेहरा ड्रेन के पुनरोद्धार हेतु परियोजना। (Longitude:-83 <sup>0</sup> 15'E and Latitude:- 25 <sup>0</sup> 21'N)	क्रमांक- 48 52वीं बैठक, दि० 02.12.2019	169.59	20.00	20.00	मु० अभि० (सोन)
कुल योग-			<b>1360.29</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	

( ₹० साठ लाख मात्र )

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

- (1) बाढ़ कार्यों हेतु राज्य सेक्टर में निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत परियोजनाओं पर धनराशि स्वीकृत की जाए।
- (2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।
- (4) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

- (5) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (6) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।
- (7) निर्माण कार्यों पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाएगी।
- (8) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (9) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तदनुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टॉईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (10) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।
- (11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समकक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।
- (12) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (13) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किशतों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/पीएलए/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।
- (14) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2011, दि0 09-07-2012 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (15) कार्य की विशिष्टियाँ मानक/गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रमुख अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो और कार्य समय से पूरा हो।
- (16) प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा समकक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- (17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (18) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।
- (19) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

- (20) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।
  - (21) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।
  - (22) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
  - (23) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
  - (24) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा अन्य सुसंगत शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 और सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  - (25) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020- 21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-जल निकास(रा०से०)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा०से०)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
- 5- उक्त वित्तीय स्वीकृति सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 387/20-27-सिं-2-01बजट/2020-21 दिनांक 21.04.2020 में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति एवं निहित शर्तों के अधीन तथा वित्त विभाग के अशा० पंजी संख्या- ई - 8- 924 /दस-20 दिनांक 15 मई, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो०, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (8) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (12) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( मदन मोहन त्रिपाठी )  
अनु सचिव।